

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 115/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. अजय कु0 आईन्द वो 2. विजय कु0 आईन्द - विक्रेता  
मनीषा कोनगाड़ी - क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

28.10.20

## आदेश


आवेदक 1. अजय कु0 आईन्द वो 2. विजय कु0 आईन्द पिता स्व0 जोसेफ आईन्द ग्राम-पेलौल, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने मनीषा कोनगाड़ी पिता किस्टोदास कोनगाड़ी ग्राम-पेलौल, थाना-मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
पेलौल (बिचना)	262	103	2081	0.09

अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 877 दिनांक 17.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 0.41 डी0 भूमि बचता है। इस प्रकार पर्याप्त भूमि नहीं बचने के कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के जांच प्रतिवेदन अनुसार वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।